



उत्तर प्रदेश शासन

# बिजली के टेकेदारों को लाइसेन्स

(सरकारी विज्ञापित संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल०ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 द्वारा प्राधिकृत)

श्री - मौ० आमीर (स्वामी फर्म)  
सर्वश्री

आमशा इष्टर पार्लेल

इन्दान्धार गुरसहाय गंज मिला कन्नील

को विज्ञापित संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल० ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत करने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत अधिष्ठापन कार्य

लाइसेन्स संख्या K.H.J-29

निर्गमित करने का दिनांक 26-9-2018

अवधि समाप्ति का दिनांक 31-3-2019

वार्षिक निरीक्षण शुल्क का चालान प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक तथा नवीकरण शुल्क के चालान के साथ लाइसेन्स 11 मार्च तक निदेशक, विद्युत सुरक्षा के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी शुल्क उत्तर प्रदेश के किसी राजकोष में निम्न हेड ऑफ एकाउन्ट के अन्तर्गत जमा किये जाने चाहिये।

“0043 विद्युत कर तथा शुल्क

(102) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस”

निदेशक, विद्युत सुरक्षा,  
उत्तर प्रदेश सरकार।

नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर	नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर
1-4-2019	31-3-2020	<u>कुते निदेशक</u>	01-4-2025	31-3-2026	<u>निदेशक</u>
01-04-2020	31-03-2021	<u>कुते निदेशक</u>			
01-4-2021	31-3-2022	<u>कुते निदेशक</u>			
		<u>कुते निदेशक</u>			
01-4-2022	31-3-2023	<u>कुते निदेशक</u>			
01-4-2023	31-3-2024	<u>कुते निदेशक</u>			
01-4-2024	31-3-2025	<u>कुते निदेशक</u>			
		<u>निदेशक</u>			